JALAUN POLICE

दिनांक- 05.07.2026

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में जालौन पुलिस टीम के नेतृत्व में थाना सिरसाकलार पुलिस टीम द्वारा आरक्षी के साथ कार्य सरकार के दौरान जान से मारने की नियत से किये गये हमले में वाछिंत अभियुक्तगण को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2026 को थाना सिरसाकलार पर आवेदिका अजमेरन पत्नी मजीद खांन द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि उसका पति व ससुरालीजन उसके साथ गाली गलौज करते हुये मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हैं जिसके सम्बन्ध में थाना सिरसाकलार पर अभियोग दर्ज किया गया था एवं आवेदिका के पति मजीद खांन को जांच व पूछताछ हेतु थाना आने के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु कोबरा मो0 पर तैनात आरक्षीगण जब अभियुक्तगण के घर पहुंचे तो वहाँ पर अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर आरक्षीगण के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर कार्य सरकार में बाधा पहुंचाई गयी।

जिसके सम्बन्ध में थाना सिरसाकलार पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 191(2)/ 191(3)/ 132/ 121(2)/ 115(2)/ 351(2)/ 352/ 324(4)/109/ 127(2)/ 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियुक्त माजिद व उसके परिजनों द्वारा अपने साले मोमीन खान पुत्र जब्बार खान निवासी ग्राम चौथ थाना कुठौंद जनपद जालौन को घर में बन्द कर जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी। जिसके सम्बन्ध में वादी मोमीन की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 75/2026 धारा 109/85/191(2)/127(2)/115(2)/351(2)/352/125/3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना सिरसाकलार पुलिस टीम द्वारा घटना में वान्छित 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. सफी खांन पुत्र सफी उल्ला उम्र करीब 28 वर्ष
2. डी0डी0 खांन उर्फ दाऊद खांन पुत्र इब्राहिम उम्र करीब 38 वर्ष
3. मजीद खांन पुत्र सफी उल्ला उम्र करीब 32 वर्ष
4. सलमान खान पुत्र डी0डी0 खान उर्फ दाउद खांन उम्र करीब 20 वर्ष
5. रूकसार पुत्री डी0डी0 खान उर्फ दाऊद खांन उम्र करीब 19 वर्ष
6. सबीना पत्नी डी0डी0 खांन उर्फ दाउद खान उम्र करीब 35 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम व थाना सिरसाकलार जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद लकडी के डण्डे।
2. 01अदद लोहे की राड।
3. 02 अदद रस्सी की टुकडे।
4. 01 अदद गमछा।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. थानाध्यक्ष सिरसाकलार मय पुलिस टीम।